रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 861]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2014/चैत्र 19, 1936
No. 861]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2014/CHAITRA 19, 1936

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2014

का. आ. 1052(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके प चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त ाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के प चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के जिला वलसाड में वि ोष रेल परियोजना, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रका ान की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप–धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उप–कलेक्टर, वलसाड, उप–कलेक्टर कार्यालय द्वितीय तल, कलेक्टर ऑफिस, वलसाड, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच करने के प चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आव यक समझे, आदे ा द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदे ा अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

वि ोष रेल परियोजना वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए गुजरात राज्य के वलसाड जिले की संरचनाओं सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त वर्णन

कम सं.	**तालुका**	**गांव का नाम**	**सिटी सर्वेक्षण संख्या**	**क्षेत्रफल हेक्टर में**
1	वलसाड	अबरामा	**1321**	**0.0145**
			1318	**0.0150**
			1319	**0.0001**
		मोगरावाडी	**1107**	**0.0160**
			1108	**0.0030**
			1109	**0.0030**
			1110	**0.0100**
			1114	**0.0030**
			1118 एवं 1125 के बीच में	**0.0040**
			1126	**0.0600**
			1148	**0.0340**

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/467]

अचल जैन, कार्यकारी निदे ाक (भूमि और सुविधाएं–1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the, 3rd April, 2014

S.O. 1052(E).— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed here to, is required for execution, maintenance, management and operation of special Railway Project, Western Dedicated Fright Corridor in the District of Valsad in the state of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Deputy Collector, Valsad, Office of Deputy Collector, Second Floor, Collector Office, Valsad, Gujarat in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project(s) WESTERN DFC in District of Valsad in the State of Gujarat.

Sr.No.	Taluka	Name of Village	City Survey No.	Area in Ha
1	VALSAD	Abrama	1321	0.0145
			1318	0.0150
			1319	0.0001
		Mograwadi	1107	0.0160
			1108	0.0030
			1109	0.0030
			1110	0.0100
			1114	0.0030
			In Between 1118 & 1125	0.0040
			1126	0.0600
			1148	0.0340

[File No.2013/LML/II/12/8/WC/467]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.